



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072024-255772
CG-DL-E-26072024-255772

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2820]
No. 2820]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2024/श्रावण 3, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2024/SHRAVANA 3, 1946

पयावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

का.आ. 2958(अ).—केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग (नियम 1976 (यथा संशोधित 1987, 2007 और 2011) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में पयावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सातवां तल, सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 कार्यालय को, जिसके 80% से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा, अधिसूचित करती है।

[फा. सं.-11014/04/2021- रा.भा.(का.)]

सत्यजित मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2024

S.O. 2958(E).—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (As Amended, 1987, 2007 and 2011) the Central Government, hereby, notifies National Afforestation and Eco-Development Board, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan, 7th Floor, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 under the administrative control of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, where more than 80% officials have acquired the working knowledge of Hindi.

[F. No. 11014/04/2021-RA.BHA.(KA.)]

SATYAJIT MISHRA, Jt. Secy.

4591 GI/2024